न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 367 / 2018

वादी :– बाबुलाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति घांची, निवासी मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, मेड़ता।

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 व 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :–30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेड़ता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1336 रकबा 3.53 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जो भूमि वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से जानी जायेगी। विवादित भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम रामरतन व वादी के पिता का नाम भंवरूराम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल है तथा वादी के समस्त रेकर्ड में उसका नाम बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल ही दर्ज है। समस्त रिकोर्ड में वादी का नाम रामरतन ही दर्ज है तथा वादी के भामाशाह कार्ड, बैंक की पासबुक, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेंशन

सत्यापन रसीद, राशन कार्ड, विद्युत बिल में भी वादी का नाम बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल ही दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम दर्ज होने व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल दर्ज होने से वादी को जगह–जगह कानूनी व नाम की अशुद्धि की समस्याएं व भारी परेशानी पैदा होती है। वादी ने अभी हाल ही में अपनी विवादित भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा तो वादी को उक्त अशुद्धि के नाम का पता चला। जिससे वादी यह वाद पेश करता है। रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम व बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल वादी के ही नाम है। उक्त दोनों नाम का वादी एक ही व्यक्ति है लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलती से वादी का नाम रामरतन पुत्र भंवरूराम दर्ज हो जाने से वादी को बड़ी भारी परेशानी व नुकसान हो रहा है। इसलिये वादी राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामरतन पुत्र भंवरूराम की जगह बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिससे विवादित खसरान का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर वादी का नाम रामरतन पुत्र भंवरूराम की जगह बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल किया जाकर विवादित खसरान की भूमि वादी की खातेदारी की घोषित किया जाना न्यायोचित है। बिनायदावा वादी ने अभी कुछ दिन पूर्व में जब वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा, तब वादी को राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामरतन पुत्र भंवरूराम दर्ज होने की जानकारी हुई, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उक्त रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कोई संतोष जनक जवाब नही दिया। तब बमुकाम ग्राम मेड़ता में पैदा हुआ। जो अदालत वाला के

क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुवार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा ग्राम मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 खाता संख्या 1216, आधार कार्ड बाबूलाल, मतदाता पहचान पत्र बाबूलाल, भामाशाह कार्ड छंवरीदेवी, राशन कार्ड बाबूलाल, विद्युत बिल बाबूलाल, बैंक ऑफ बड़ौदा की पास बुक बाबूलाल की, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप बाबूलाल की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। तहसीलदार मेड़ता ने अपने पत्रांक भू. अ./शुद्धि/2018/1300 दिनांक 26.07.2018 द्वारा पटवारी व आई. एल.आर. मेड़ता की मूल रिपोर्ट मय अनुशंषा के साथ भिजवायी है, जिसमें लिखा है कि यह है कि बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल की खातेदारी भूमि ग्राम मेड़ता की सरहद में खसरा नम्बर 1336 रकबा 3.53 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम के नाम रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का उसके अन्य दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी, बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, पेन्शन कार्ड, अन्य भूमि की खातेदारी रेकर्ड में बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल के नाम से दर्ज है। केवल खसरा नम्बर 1336 की खातेदारी में रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम दर्ज है। जो केवल घरेलू नाम होने से दर्ज हो गया था। रामरतन पुत्र भंवरूराम ही बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल है यानि रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। रामरतन व बाबूलाल एक ही व्यक्ति है। अतः रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र श्री भंवरलाल शुद्धि किया जाना उचित है।

Scanned by CamScanner

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम व बाबुलाल पुत्र श्री भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। अतः रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम के स्थान पर बाबुलाल पुत्र श्री भंवरलाल शुद्धि किया जाना उचित है। जिसकी ताईद तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट से भी होती है। अतः तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

6. मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 1336 रकबा 3.53 हैक्टेयर में रामरतन पुत्र श्री भंवरूराम के स्थान पर रामरतन उर्फ बाबूलाल पुत्र श्री भंवरूराम उर्फ भंवरलाल दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार रिपोर्ट निर्णय का भाग होगी।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner